

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोश, (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या : 70/2022  
दायर दिनांक : 28.12.2022  
निर्णय दिनांक : 07.07.2023

**उनवान**

गिराज प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जगदीश नारायण जाति महाजन, निवासी कलाली मन्दिर के सामने गांधी तिराहा लालसोट रोड़ दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

**:- निर्णय :-**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाशत की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 799 पुराना 774 के खसरा नम्बर 4231/2644 रकबा 0.43 है. भूमि वाके ग्राम दौसा कलां पटवार हल्का दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र काबिज काशत खातेदार है। जिस पर किसी प्रकार का कोई झगडा टण्टा नहीं है। प्रार्थी कब्जेकाशत एवं खातेदारी स्वामित्व की भूमि में आये दिन आवार जानवर घुस जाते हैं तथा प्रार्थी के खेतों में उगी फसल को नष्ट कर देते हैं। जिससे परेशान होकर प्रार्थी अपनी कब्जेकाशत स्वामित्व एवं खातेदारी भूमि पर तारबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार महोदय दौसा को प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय दौसा के पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/26/56 दिनांक 18.10.2022 की पालना में पटवारी हल्का दौसा खुर्द द्वारा प्रार्थी व मौके पर उपस्थित मौतबिरानों के समक्ष दिनांक 14.11.2022 को हल्का पटवारी दौसा कलां द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4231/2644 रकबा 0.43 है. भूमि सम्पूर्ण का जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया। जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं रही है। प्रार्थी सीमाज्ञान से संतुष्ट है एवं हल्का पटवार द्वारा किये गये सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थी अपने स्वामित्व एवं कब्जेकाशत खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ सीमाज्ञान अनुसार सम्पूर्ण भूमि के चारों ओर पुख्ता तारबन्दी करवाना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी होना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। जिससे प्रार्थी अपने कब्जेकाशत एवं खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। यदि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाशत खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बिना पुलिस इमदाद के होना संभव नहीं हो तो प्रार्थी इस हेतु लगने वाली अधिनियम अनुसार खर्च को वहन करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाशत कृषि भूमि खसरा नम्बर 4231/2644 रकबा 0.43 है. वाके ग्राम दौसा कलां पटवार हल्का दौसा कलां तहसील दौसा में कृषि भूमि की हल्का पटवारी दौसा कलां द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2022 व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.11.2022



के अनुसार पुलिस इमदाद थाना कोतवाली के साथ पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश श्रीमान् तहसीलदार दौसा तहसील दौसा को प्रदान करने की कृपा कर वाद आदेश पालना की रिपोर्ट तलब फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम दौसा कलाँ के खाता संख्या 799 खसरा संख्या 4231/2644 रकबा 0.43 है। भूमि गिराजप्रसाद पुत्र जगदीश नारायण जाति महाजन सा. दौसा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा राजस्व नक्शों में उक्त खसरों के तरमीम है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 14.11.2022 को हो चुका है। मौके पर भूमि खाली पडी है तथा आस-पास पैमाइश हेतु पुख्ता मेड़ भी है जिससे पैमाइश होना सम्भव है। मौके पर उक्त खसरे की सीमा पर पत्थरगढी करने के लिए पुलिस जाब्ले की आवश्यकता रहेगी। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी न्यायालय का रथगन नहीं है।

पत्रावली में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ग्राम दौसा कलाँ तहसील दौसा स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4231/2644 रकबा 0.43 है। की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। चूँकि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं तहसीलदार दौसा ने पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो, तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 4231/2644 रकबा 0.43 है। वाके ग्राम दौसा कलाँ तहसील दौसा का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ले की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फाँसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



( संजय कुमार गोरा )  
उपखण्ड अधिष्ठाकारी  
दौसा (राज.)